

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 09/2024

उनवान

1. बालू पुत्र श्री हेमा गाडरी नि0 183 मेन सेक्टर शारत्रीनगर, भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्रा देवी पत्नी श्री लालाराम गाडरी नि0 आमलीगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
2. गणेश पुत्र श्री हेमा गाडरी नि0 आमलीगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
3. नर्बदा पत्नी श्री शंकर लाल कुम्हार नि0 आमलीगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
4. शंकर पुत्र श्री देबी लाल गाडरी नि0 आमलीगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
5. कानी पत्नी श्री रतन लाल तेली नि0 आमलीगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
6. नोजी पत्नी श्री कन्हैया लाल तेली नि0 आमलीगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
7. मांगी देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द्र तेली नि0 आमलीगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
8. सीमा पत्नी श्री रामेश्वर लाल गाडरी नि0 आमलीगढ तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 19.01.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम आमलीगढ प.ह. आमलीगढ भू.अ.नि. मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 448 की आ.न. 1431/291 रकबा 0.0783 है0, आ.न. 1433/287 रकबा 0.2313 है0, आ.न. 289 रकबा 0.6449 है0, कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.9545 है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी हैं प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 01.02.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 08 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य हैं

—:आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि ग्राम आमलीगढ प.ह. आमलीगढ भू.अ.नि. मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 448 की आ.न. 1431/291 रकबा 0.0783 है0, आ.न. 1433/287 रकबा 0.2313 है0, आ.न. 289 रकबा 0.6449 है0, कुल कित्ता 03 कुल रकबा 0.9545 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/-पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।



(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

